प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 16.03.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मुद्रिका प्रसाद पुत्र झकरी प्रसाद निवासी ग्राम केचुआखोर थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विनय कुमार राय, का0 रणजीत यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 196 वाहनों से 2,28,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 16.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 196 वाहनों से 2,28,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष *मेंहदावल* के नेतृत्व में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 53/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित **देवेन्द्र प्रजापति पुत्र रामबुझारत निवासी वार्ड नं0 11 उड़वलिया उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर** को आज दिनाँक 16.03.2026 को उसके घर से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
देवेन्द्र प्रजापति पुत्र रामबुझारत निवासी वार्ड नं0 11 उड़वलिया उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

आपराधिक इतिहास देवेन्द्र प्रजापति

1. **मु0अ0सं0 340/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।**
2. **मु0अ0सं0 359/2025 धारा 112(2),317(2), 317(4),317(5) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।**
3. **मु0अ0सं0 355/ 2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर जनपद संतकबीरनगर।**
4. **मु0अ0सं0 53/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 रामरतन तिवारी, कां0 अनुराग सिंह।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामलें में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 16.03.2026 को माननीय न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री विशाल पुत्र हजारी निवासी बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 14.07.2020 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 01. भरत उर्फ बरखू 02. गोरख पुत्रगण मुन्नीलाल निवासीगण बभनौली थाना धनघटा के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने तहरीर के आधार पर थाना धनघटा पर एनसीआर पंजीकृत कर उ0नि0 श्री अनिल प्रकाश पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 410/2020 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 504 भा0द0वि0 में प्रत्येक अभि0गण को 1000-1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 08 माह के कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 16.03.2026 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 08 माह के कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह यादव द्वारा अभियुक्त दऊद शब्बीर पुत्र रियाज अहमद निवासी अंशार टोला खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 01 किग्रा 100 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद करते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 846/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त दऊद शब्बीर पुत्र रियाज अहमद निवासी अंशार टोला खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में 08 माह के कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध एक्ट के मामलें में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 16.03.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष बखिरा श्री आर0एन0 सिंह जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त अब्दुल कलाम पुत्र नेवास अली निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध 04 राशि बैल बरामद करते हुए क्रूरता का व्यवहार करने की तहरीर के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री चिंतामणि सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 128/2004 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।